SK

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–6/प्राक्क01–106/2024– 1022 पटना–15, दिनांकः– 5.6.25

सेवामें,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम, पटना अंतर्गत राजवंशी नगर, पटना स्थित पूर्व से निर्मित Store Room को तोड़कर नये Store Room-cum-JE Mechanical Section Office के निर्माण कार्य के लिए योजना की कुल 14.593 लाख रूपये (चौदह लाख उनसठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश–योजना स्वीकृत।

2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल का जल' के तहत पेयजल हेतु योजनाओं का निर्माण तथा संचालन एवं रख–रखाव का कार्य किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम, पटना अंतर्गत पूर्व से निर्मित Store Room बहुत पुराना है एवं इसके आगे का भाग टूट चुका है। अतः राजवंशी नगर, पटना स्थित पूर्व से निर्मित Store Room को तोड़कर नये Store Room-cum-JE Mechanical Section Office हेतु निर्माण कार्य की आवश्यकता है।

3. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम, पटना अंतर्गत राजवंशी नगर, पटना स्थित पूर्व से निर्मित Store Room को तोड़कर नये Store Room-cum-JE Mechanical Section Office हेतु निर्माण कार्य की आवश्यकता है।

4. इस योजना का सूत्रण भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम, पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए, तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया गया है। इस योजना में भवन निर्माण, फर्नीचर, पानी, बिजली, आदि का कार्य शामिल है। उक्त नये Store Room-cum-JE Mechanical Section Office हेतु योजना की कुल प्राक्कलित राशि **₹14.593 लाख रूपये (चौदह लाख उनसठ हजार तीन सौ रूपये)** मात्र है। जिस पर तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (रूपांकण) द्वारा दिया गया है।

5. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष– 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0128–सरकारी कार्यालय का निर्माण, विपत्र कोड–36–4059010510128–विषय शीर्ष– 0128.53.01–मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम, पटना होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

9. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

D:\Ravi Sec 6A\Subodh G ASO\building\Sanction Prak01-106-2024 Patna West Store room JE section office.docx

11. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

12. योजना की तकनिकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होने के उपरांत E-tendering के माध्यम से निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

14. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता (असैनिक) की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम दो बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को जरूर उपलब्ध करायेंगे।

15. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समायावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इस पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

05/06/2025
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक :–6ए/प्राक्क01–106/2024– 1022 पटना– 15, दिनांक :– 5.6.25

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/ कार्य प्रबंधन)/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी, बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ विशेष पदाधिकारी/ बजट पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–4/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या–7/ प्रशाखा पदाधिकारी–6/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

05/06/2025
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)